न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 57/2020

अपीलांट्स –
1. सताराम पुत्र अर्जुनराम
2. अचलाराम पुत्र अर्जुनराम
3. मलाराम पुत्र अर्जुनराम
जातियान जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु हाल निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. चिमाराम पुत्र खुमाराम
2. मूलाराम पुत्र अर्जुनराम
3. दोलाराम पुत्र अर्जुनराम
जातियान जाट निवासी बायतु भीमजी तहसील बायतु हाल निवासी भांडियावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक बायतु जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/09/06 दिनांक 09.05.2018 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. शेष रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 14.09.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भांडियावास के खेत खसरा संख्या 456, 458 तथा 1055/453 कुल रकबा 234–09 बीघा के खातेदारान क्रमशः चिमाराम पुत्र खूमाराम 1/2 हि0 छतराराम [illegible] लाराम अचलाराम मलाराम पि0 अर्जुनराम 1/2 कौम जाट [illegible] दिनांक 09.05.2018 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना-पत्र [illegible] कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर ब[illegible] लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी कुड़ी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल बंटवाड़ा पत्र खाता संख्या 127

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:45 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

ग्राम भांडियावास का मैंने मौके पर सहखातेदारों के साथ जाकर उनको अपने बंट में आई हुई भूमि को नाप कर बता दी है। जिस पर वो काबिज हो गये हैं। सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भली–भांति अवगत करा दिया है। बंटवाड़े से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है न ही जोड़ा गया है एवं रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार ही यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.10.2020 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार पचपदरा द्वारा भारी कानूनी एवं विधिक भूल की गई है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को अपीलाधीन भूमि विरासत मे प्राप्त हुई जिसमें अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का संयुक्त हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा 1/2 था एवं मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार पूर्व में आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार समस्त खसरों के विभाजन हेतु सहमति प्रदान की गई थी। हलका पटवारी ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के दबाव में रहते हुए विभाजन हेतु तैयार पूर्व के नक्शे को बदल दिया तथा उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवा कर विभाजन आदेश तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन नक्शे की तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा–काश्त में भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणी, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। साथ ही अच्छी किस्म की भूमि व सड़क मार्ग पर बहुमूल्य भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई है एवं अपीलांट्स के हिस्से में धोरे की भूमि रख दी गई है। लिहाजा अपीलांट्स की उनके क[illegible] अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर गलत रूप से बंटवाड़ा [illegible] है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाडमेर

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब अपीलांट्स द्वारा मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर रबी की फसल की तैयारी की जाने लगी तब रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा। इस पर अपीलांट्स को अपना हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई जो उन्हें 14.10.2020 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई। गलत बंटवाडे की जानकारी होने पर वास्तविक जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। इसके बावजूद अपील पेश करने में हुई देरी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावें।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा भांडियावास के खेत खसरा संख्या 456, 458 तथा 1055 / 453 कुल रकबा 234–09 बीघा के खातेदारान क्रमशः चिमाराम पुत्र खूमाराम 1 / 2 हि0 छतराराम मूलाराम दोलाराम अचलाराम मलाराम पि0 अर्जुनराम 1 / 2 कौम जाट सा0 बायतु भीमजी ने दिनांक 09.05.2018 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी कुड़ी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मूल बंटवाड़ा पत्र खाता संख्या 127 ग्राम भांडियावास का मैंने मौके पर सहखातेदारों के साथ जाकर उनको अपने बंट में आई हुई भूमि को नाप कर बता दी है। जिस पर वो काबिज हो गये हैं। सभी खातेदारों को रकबा एवं लगान से भी भली–भांति अवगत करा दिया है। बंटवाड़े से सभी खातेदार सहमत हैं तथा कोई विवाद नहीं है। इस विभाजन पत्र में न किसी खातेदार का नाम हटाया गया है न ही जोड़ा गया है एवं रकबा व लगान भी पूर्व खाता के अनुसार ही यथावत है। उक्त विभाजन पत्र स्वीकृति किये जाने की सिफारिश की जाती है। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हलका पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 पारित किया गया। अर्सा 20–25 दिन पूर्व जब अपीलांट्स द्वारा मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर रबी की फसल की तैयारी की जाने लगी तब रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा। इस पर अपीलांट्स को अपना हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव की प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:45 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्राप्त की गई जो उन्हें 14.10.2020 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन अपीलांट्स की स्वयं की उपस्थिति में स्वीकृत किया गया है तथा अपीलांट्स द्वारा अपनी सहमति में हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के करीब दो साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:45 IST
Reason: SelfAttested